रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 522] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 22, 1989/श्रावण 31, 1911
No. 522] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 22, 1989/SRAVANA 31, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 1989

का.आ. 659 (अ).—मुंबई बंदरगाह अधिनियम 1972 (1972 का 69) की धारा 8 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय की दिनांक 30 मार्च, 1973 की केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 186 (ई)

के पैराग्राफ 4 के खंड (त) के उप-खंड (1) द्वारा यथा-प्रतिस्थापित, नियम 22 के उप-नियम (1) के बाद निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जाएगा, अर्थात् :

"परन्तु यह कि विशेष अनुबंध द्वारा वाहक और यात्री दायित्व की उच्चतर सीमा पर सहमत हो सकते हैं"।

[फाइल संख्या ए.वी. 11012/5/79-ए]
रविन्द्र गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND TOURISM

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 1989

S. O. 659 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 8 of the Carriage by Air Act, 1972 (69 of 1972), the Central Government hereby directs that the following proviso shall be inserted after sub-rule (1) of rule 22 as substituted by sub-clause (i) of Clause (P) of paragraph 4 of the Notification No. S.O. 186 (E), dated 30th March, 1973 of the Central Government in the Ministry of Tourism and Civil Aviation, namely :—

"Provided that by special contract, the carrier and the passenger may agree to a higher limit of liability".

[F. No. AV. 11012/5/79-A.]
RAVINDRA GUPTA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989